

डजिटल शक्ति 4.0

हाल ही में [राष्ट्रीय महिला आयोग \(NCW\)](#) ने डजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण शुरू किया है।

- NCW ने इसे साइबरपीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया।

डजिटल शक्ति:

- **परिचय:**
 - देश भर में डजिटल क्षेत्र में महिलाओं में जागरूकता स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिये जून 2018 में डजिटल शक्ति की शुरुआत हुई थी।
 - यह महिलाओं को उनके लाभ के लिये रपौटिंग और नविवरण तंत्र, डेटा गोपनीयता और प्रौद्योगिकी के उपयोग में मदद कर रहा है।
 - इस कार्यक्रम का तीसरा चरण मार्च 2021 में लेह में शुरू किया गया था।
- **डजिटल शक्ति 4.0:**
 - डजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डजिटल रूप से कुशल और किसी भी प्रकार के अवैध/अनुचित ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ डटकर खड़े होने के लिये जागरूक बनाने पर केंद्रित है।
 - इसका उद्देश्य महिलाओं के लिये सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है।
- **उपलब्धियाँ:**
 - डजिटल शक्ति परियोजना के माध्यम से पूरे भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा संबंधी सुझावों और उपायों, रपौटिंग एवं नविवरण तंत्र, डेटा गोपनीयता तथा उनके लाभों के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में जागरूक किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग:

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य उपयुक्त नीति निर्माण और वधायी उपायों के माध्यम से महिलाओं को उनके उचित अधिकारों को सुरक्षित करने में सक्षम बनाना और जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता एवं समान भागीदारी हासिल करने में सक्षम बनाने की दशा में प्रयास करना है।
- इसके कार्यों में शामिल हैं:
 - महिलाओं के लिये [संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों](#) की समीक्षा करना।
 - उपचारात्मक वधायी उपायों की सफारिश करना।
 - शिकायतों के नविवरण को सुगम बनाना।
 - महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतित्त मामलों पर सरकार को सलाह देना।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)